कार्यालय आयुक्त आदिवासी विकास
मध्यप्रदेश

क्रमांक/शिक्षा स्था–3/4/2012–13 / 18219 भोपाल, दिनांक 4/9/12

आदेश

म.प्र.शासन स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश कमांक एफ 1–49/2008/20–1 दिनांक 25.4.08 में उल्लेखित पारस्परिक आपसी अदला बदली के प्रावधान के तहत् दोनों निकायों द्वारा प्रदत्त अनापत्ति के आधार पर प्राप्त आवेदन अनुसार कॉलम 02 व 03 में दर्शित वरिष्ठ अध्यापक/ अध्यापक को संस्थाओं में परस्पर उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये वरिष्ठ अध्यापक/ अध्यापक के स्थान पर संविलियन की अनुमति प्रदान की जाती है :–

क.	वरिष्ठ अध्यापक/ अध्यापक का नाम व पदस्थापना स्थान एवं निकाय का नाम	वरिष्ठ अध्यापक/ अध्यापक का नाम व पदस्थापना स्थान एवं निकाय का नाम
1	2	3
1	श्री मधुकर कानूनगो अध्यापक **(कला)** शा.मा.वि.सीतापुरी जनपद पंचायत सेगांव जिला खरगोन (मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत सेगांव जिला खरगोन)	श्री दिनेश शर्मा, अध्यापक **(कला)** शा.मा.वि. मसान्यापुरा (चितावल) जनपद पंचायत राजपुर जिला बडवानी (मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत राजपुर जिला बडवानी)
2	श्री यशवंत सिंह सिसोदिया, अध्यापक **(कला संकाय)** शा.मा.वि. निहाली विकास खंड राजपुर जिला बडवानी (मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत राजपुर जिला बडवानी)	श्री तेर सिंह चौहान, अध्यापक **(कला संकाय)** शा.मा.वि.बोरगांव विकास खंड गोगांवा जिला खरगोन (मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत गोगांवा जिला खरगोन)
3	श्री परमानंद गाडगे, अध्यापक (कला समूह) मा.शाला बरखेडी विकास खंड हरदा जिला हरदा (जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत हरदा जिला हरदा)	श्रीमती सरोज व्यास (जोशी) अध्यापक **(कला समूह)** न.मा.शा. भडक्या विकास खंड नालछा जिला धार (सहायक आयुक्त, वास्ते मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत धार जिला धार)
4	श्री धर्मेन्द्र परमार अध्यापक **(कला समूह)** शा.मा.वि. रातडियामाल विकास खंड बडवानी जिला बडवानी (मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बडवानी जिला बडवानी)	श्री भगवान पनियारे अध्यापक **(कला समूह)** शा.मा.वि. गुन्दीखेडा विकास खंड बदनावर जिला धार (अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी वास्ते मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत धार जिला धार)
5	श्रीमती योगिता सोलंकी अध्यापक **(कला समूह)** शा.मा.वि.मवडीफल्या सिलावद जिला बडवानी (मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बडवानी जिला बडवानी)	श्री उदय सिंह जमरे अध्यापक **(कला समूह)** शा.हाई स्कूल रानीगांव जिला रतलाम (मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रतलाम जिला रतलाम)

6	श्री अन्तर सिंह रावत अध्यापक,(सा.वि.)शा.मा.वि.बाबूसिंह पूरा विकास खंड पोरसा,जिला मुरैना (मुख्य कार्यपालन अधिकारी,जनपद पंचायत पोरसा जिला मुरैना)	श्री भमर सिंह तोमर अध्यापक,(सा.वि.)शा.मा.वि.मोगरा कुक्षी जिला धार (अति0मुख्य कार्यपालन अधिकारी,वास्ते मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत धार)

संविलियन की शर्तें–

1 यह अनुमति तालिका कमांक दो व तीन में उल्लेखित निकाय में आपसी संविलियन के लिये मान्य होगी ।

2 तालिका दो में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक,अध्यापक, सहायक अध्यापक को उसी वर्ग एवं उसी विषय तथा वेतनमान के पद की उपलब्धता होने पर ही तालिका कमांक चार में वर्णित निकाय में संविलियन किया जावेगा ।

3 तालिका कमांक दो व तीन में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक,अध्यापक, सहायक अध्यापक का व्यक्तिगत दायित्व होगा कि वे संबंधित निकाय द्वारा संविलियन संबंधी पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात् ही आदेश प्राप्त कर कार्यमुक्त हों ।

4 संबंधित निकाय द्वारा पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात् ही तालिका कमांक दो एवं तीन में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/ सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त किया जाये । पदांकन आदेश जारी नही होने के पूर्व वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/ सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त न किया जाये ।

5 तालिका कमांक दो एवं तीन में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/ अध्यापक/ सहायक अध्यापक जिले में कार्यरत हैं तथा उसके नियुक्ति आदेश की वैधता तथा विकलांग प्रकरण होने की स्थिति में 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता के मूल प्रमाण पत्र से मिलान करने की पुष्टि उपरांत ही संविलियन आदेश प्रभावशील होगा ।

6 संविलियन किये जा रहे तालिका कमांक दो व तीन में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/ सहायक अध्यापक की वरिष्ठता संविलियन निकाय के वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक में वरिष्ठता सूची के कर्मचारियो में सबसे नीचे मान्य होगी ।

7 वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक के संविलियन प्रकरणों के संबंध में स्वीकृत रिक्त पद सीधी भर्ती का है इसकी पुष्टि जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरांत ही संविलियन की अनुमति का यह आदेश मान्य होगा ।

8 शिक्षा कर्मियों का अध्यापक संवर्ग में संविलियन एवं संविदा शाला शिक्षक की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति होने की पुष्टि संबंधी निकाय/जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरांत एवं पद रिक्त होने की स्थिति में ही संविलियन मान्य किया जावे ।

9 तालिका कमांक दो एवं तीन में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/ सहायक अध्यापक के विरूद्ध कोई विभागीय जॉच/न्यायालयीन प्रकरण/आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होने अथवा उक्त शर्तो की पूर्ति न होने पर यह आदेश स्वयमेव निरस्त माना जावेगा ।

10 वर्ष 2001 के भर्ती नियमों के तहत नियुक्त संविदा शाला शिक्षकों की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन सिविल अपील कमांक 3276/2007 एवं अन्य सिविल अपील में पारित निर्णय के अध्याधीन की गई है । अतः उक्त संविलियन की कार्यवाही में भी यह शर्त लागू होगी ।

(हस्ताक्षर) 4.9.2012

आयुक्त,
आदिवासी विकास
म.प्र.

पृ. क्रमांक/शिक्षा स्था.3/4/2012–13/ 18220 भोपाल दिनांक 4/9/12

प्रतिलिपि–

1 निज सचिव, मान.मंत्री/राज्यमंत्री, आ.जा. एवं अनु.जनजाति क.विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
2 प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, आ.जा.क.विभाग, मंत्रालय भोपाल ।
3 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्य प्रदेश ।
4 संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल, मध्य प्रदेश ।
5 कलेक्टर, जिला ....(म0प्र0)
6 आयुक्त, नगर निगम ....(म0प्र0)

7 संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी,जिला पंचायत.................................(म0प्र0)की ओर भेजकर लेख है कि आपके जिले से संबंधित आवेदको के आवश्यक अभिलेखों/उपरोक्त शर्तो की पुष्टि के उपरांत ही उन्हें कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करावें ।

8 संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत ....जिला..............................(म0प्र0) की ओर भेजकर लेख है कि आपके जनपद से संबंधित आवेदको के आवश्यक अभिलेखों/उपरोक्त शर्तो की पुष्टि के उपरांत ही उन्हें कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करावें ।

9 संबंधित मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत ....जिला.......................... ....(म0प्र0) की ओर भेजकर लेख है कि आपके निकाय से संबधित आवेदको के आवश्यक अभिलेखेां/उपरोक्त शर्तो की पुष्टि के उपरांत ही उन्हें कार्यमुक्त/कार्यग्रहण करावें ।

10 संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी ....(म0प्र0)

11 सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास,/जिला संयोजक, आदिमजाति कल्याण जिला ....(म0प्र0) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

12 संबंधित प्राचार्य, ...की ओर सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

13 संबंधित श्री ....की ओर पालनार्थ ।

4/9/12

अपर संचालक,
आदिवासी विकास
म.प्र.